

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अकडल अतीफ बनाम रसीदा बंगम (बर्गेर)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 21 सन् 2023

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
------	----------------------------------	---

1-23 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 21-2-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

21/2/23 पत्रावली पेश हुई, अधिभाषकण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित / स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 22/2/23 को पेश हो ।

8 2/23 पत्रावली पेश हुई, अधिभाषकण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित / स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 14/2/23 को पेश हो ।

14/2/23 पत्रावली पेश हुई, अधिभाषकण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित / स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 28/2/23 को पेश हो ।

3-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण सों 1,3,4,5,7 के सम्मन वाद वास्तविक होकर प्राप्त हुए छिले आ०प० किये गये । वकील प्रार्थी विपक्षी स 2 व 6 के विकट कोर्ड कार्यवाही नहीं चाहते अप्रार्थी सों 1,3,4,5,7 को खिन्नी भर्तिया आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एक पक्षी कार्यवाही किये जाने की आदेश दिया जावा है वकील (प्रार्थीगण) का आ०प० स्वीकार किया जाकर निर्दिष्ट पत्र सों खिन्ना जाकर आ०प० किया गया । पत्रावली फेरव शुमार होकर नम्बर से कम है ।

वि. क्र. 6 मोठ
के विकट
सन्तु तोष
नहीं चाहता हूँ

उपखण्ड अधिकारी
मं. वि. माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 21/23 प्रोपत्र

1- श्री अब्दुल ततीफ S/o गनी गोरगद अंशारी मुरालगान निवासी माण्डल तहसील (वैरा)

-प्रार्थी

वनाम

1- श्रीमती रसीदा बेगम S/o अब्दुल गनी (पुत्र) निवासी- शंकर कुई के पास
माण्डल तहसील

(धरणांकित प्रोपत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.03.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 4914 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिदा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 4914 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा